# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
# BETWEEN
# THE BUREAU OF INDIAN STANDARDS
# AND
# THE EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARDS INSTITUTE

**This MoU is made between,**

The **Bureau of Indian Standards ("BIS")**, which is the National Standards Body of India established under the Bureau of Indian Standards Act 2016. BIS has the power to establish, publish and promote Indian Standards, in relation to any article or process by a process of consultation with consumers, manufacturers, technologists, scientists and officials through duly constituted committees, and

The **European Telecommunications Standards Institute ("ETSI")**, which produces globally-applicable standards for Information and Communications Technologies (ICT), including fixed, mobile, radio, broadcast and Internet technologies. ETSI standards enable the technologies on which business and society rely. ETSI is an industry-led standards development organization with a membership of over 850 manufacturers, network operators, service providers, research bodies, regulatory bodies and universities from 68 countries. ETSI aims to produce globally applicable standards and is officially recognized by the European Union as a European Standardization Organization.

Both BIS and ETSI are hereinafter referred to in this MoU individually as the "Party" and collectively as "the Parties".

The Parties hereby reach the following understanding:

## Article 1
## Overall objective

1.1 **The Parties** have the common objective to perform and promote, directly or indirectly, regional and international standardization with the aim of contributing to the establishment of a global information infrastructure.

1.2 **The Parties** have a reciprocal interest in avoiding duplication of technical work and would both benefit from adopting a complementary approach to the standardization process in the domains of mutual interest. **BIS** and **ETSI** have noted the necessity of structuring and strengthening their relationship and fostering a closer co-operation.

Pramod

**1.3 The Parties** are willing to consider granting to each other the right to adopt their standards (hereinafter referred to as "Standards") including all revisions thereto and to distribute such standards, with proper recognition pursuant to the terms hereof.

## Article 2
## Specific objectives and activities

**2.1 The Parties** may exchange from time to time as they may agree, free of charge, information in areas of mutual interest (as per Annex 1).

**2.2 The Parties** shall make their best efforts to take part in and/or organise jointly meetings, conferences and workshops promoting issues of mutual interest and their partnership.

**2.3 The Parties** have identified the agreed work areas (as per Annex 1). Within these, copies of working documents, drafts and standards shall be made available royalty-free to the other on request and by mutual consent. The dissemination by one Party of the documents received from the other Party will be strictly limited to the members of the requesting Party, and solely for the purpose of technical and/or promotional activities relating to the Party's work programme.

**The Parties** undertake to make every endeavour to use electronic document handling in their exchange of documents.

## Article 3
## Definitions

The following definitions shall apply to the present Memorandum of Understanding (MoU):

- **"Adoption"** means the transposition of a Party's Standard into another Party's Standard. (E.g. adoption of an ETSI's Standard as a BIS' Indian national Standard). For the avoidance of doubt, it encompasses any editorial changes needed (e.g. change in cover page)
- **"Client"** means any end-user of a Party's Standard in any format.
- **"Distribution"** means the making available to a Client, of a Party's Standard adopted as the other Party's Standard.

## Article 4
## License for the Adoption and Distribution of Standards

**4.1** Upon request, **ETSI** shall grant **BIS** the right to Adopt, in India, as Indian National Standards and without change (i) ETSI Standards and (ii) all ETSI standards normatively referenced in said ETSI Standards.

Pramod

In this context, **ETSI** shall grant **BIS** a non-exclusive license to Distribute, in India, in any format and without change (i) said ETSI Standards and (ii) all ETSI standards normatively referenced in said ETSI Standards. While Distribution outside India is not in the scope of the present MoU, it is understood that requests for access to the adopted ETSI standards may come online from outside India and that they may be addressed by **BIS** as long as no active promotion and distribution activities are carried out outside India.

To that purpose, **ETSI** shall provide **BIS** with its Standards in electronic form.

**4.2** Without prejudice to the foregoing, should changes be required for the purpose of national transposition, **BIS** shall inform **ETSI** in writing of the need for such changes, before adopting **ETSI**'s Standards as their national Standards.

**ETSI** shall therefore provide **BIS** with a word version of the relevant Standard(s) and **BIS** shall provide **ETSI** with a revised version of the Standard(s) incorporating the changes tracked with revision marks for information purposes. **ETSI** shall not approve any such changes.

For the avoidance of doubt, the Parties hereby acknowledge that ETSI shall assume no liability for any damages resulting from changes to ETSI's Standards made by BIS (hereinafter "Damages") and BIS hereby agrees to indemnify and hold harmless ETSI with respect to any suit, claim or proceeding brought against ETSI by a third party alleging such Damages, including but not limited to any loss, expenses and attorney's fees. This shall also apply to distribution and/or use of the Adopted National Standards outside India.

**BIS** shall list any changes made to **ETSI**'s Standards in the foreword of its Adopted national Standards. Alternatively, the changes may be included in the text of the Adopted Standard. In any case, **BIS** shall expressly state that (i) changes to the Standards have not been approved by **ETSI** and (ii) the copyright in these changes is owned by **BIS.**

**4.3** All ETSI's copyrights, ownership, and rights in the ETSI's Standards shall remain the sole and exclusive property of ETSI (unless otherwise indicated by ETSI). Publications, including their entire content and their associated metadata, as compiled and structured in the databases of ETSI are copyright-protected under the French Law, which is the country of origin of the works hence are governed by and construed in accordance with the French Law.
**BIS** shall affix to all copies of the **ETSI's** Standards Adopted as Indian Standards by **BIS** the following notice showing **ETSI** as the owner of the copyrights in said Standards, unless otherwise indicated by **ETSI:**

Pramod

**© European Telecommunications Standards Institute yyyy [Date]. Further use, modification, copy and/or distribution are strictly prohibited. ETSI standards are available from http://pda.etsi.org/pda/".**

Such notice shall be made on the fourth cover page (back page) of each published Adoption and shall further state the following in the National Foreword (second page):

"The Indian Standard which is identical with EN (Designation) issued by the European Telecommunications Standards Institute was adopted by the Bureau of Indian Standards on the recommendation of the (name) Sectional Committee and approval of the (name) Division Council."

**4.4** Where the needs arise for **ETSI** to Adopt/Distribute **BIS'** Standards, all the rules mentioned in the present MoU shall apply mutatis mutandis to **ETSI**.
All **BIS**'s copyrights, ownership, and rights in the Indian Standards shall remain the sole and exclusive property of **BIS** (unless otherwise indicated by **BIS**).

**ETSI** shall affix to all copies of the Indian Standards adopted as **ETSI's** Standards by **ETSI** the following notice showing **BIS** as the owner of the copyrights in said Standards, unless otherwise indicated by **BIS**:

**© Bureau of Indian Standards yyyy [date]. Further use, modification, copy and/or distribution are strictly prohibited. BIS standards are available from www.standardsbis.in".**

Such notice shall be made on the cover and first page of each published Adoption and shall further state that the **ETSI** Standard is identical to the relevant Indian National standard.

Each Party shall promptly notify the other Party if it becomes aware of any unauthorized use of the other Party's Standards and will not be liable for any claim arising out of such unauthorized use.

**4.5** Neither Party shall pay royalties on the Distribution of Adopted Standards in paper format.

Regarding the Distribution of Adopted Standards in any other format, each Party shall pay to the other Party a royalty as outlined in Annex 2.

Each Party shall provide to the other a list of all Adopted Standards on an annual basis. Further, each Party shall submit to the other Party an annual report listing the total copies of Adopted Standards Distributed, including their sale price. Such reports shall be due within forty-five (45) days of the end of each calendar year.

Pramod

Payment shall be made by each Party to the other Party within sixty (60) days of the end of the calendar year.

## Article 5
## Administration of the Memorandum of Understanding

**5.1** The MoU shall not be deemed or construed to be modified, amended or waived, in whole or in part, except by written agreement of both Parties. Neither Party may assign this MoU, or any of its rights, obligations or duties hereunder, without the prior written consent of the other Party.

**5.2** This MoU shall be in force from the date of signature by the Parties. In the event that new Rules of Procedure are adopted in either Party, or when particular procedures are adopted at world-wide level by a Party, the other Party may suggest an amendment to this MoU that addresses any concerns raised by such change. If such amendment is not acceptable, then the Party that proposed the amendment may terminate this MoU on thirty (30) day's written notice to the other. This MoU may also be amended upon mutual written consent of both Parties in the light of experience and technical developments.

**5.3** Notwithstanding the foregoing, this MoU may be terminated by either Party upon ninety (90) day's written notice to the other. Upon any termination or expiration of this MoU, all the rights granted pursuant to this MoU shall cease immediately and the Parties shall cease from distributing any information received pursuant to this MoU, except that the Parties may continue to Distribute already Adopted Standards. However, upon notification of termination of this MoU, the Party shall not enter into new agreements with Clients related to the other Party's Standards. In no event shall this right exceed one (1) year from the date of the termination of this MoU. Notwithstanding anything in this MoU or otherwise to the contrary, the provisions of this MoU related to ownership of rights shall survive any termination or expiration of this MoU.

**5.4** Any difficulties arising out of this MoU shall be agreed wherever possible at the working level between **BIS** and **ETSI** at the level of the Director-General of **ETSI** and the Director-General of **BIS**.

**5.5** Any dispute, disagreement or claim arising out of the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably by consultations and negotiations between the Parties. Any disputes, disagreement or claim arising in connection with the present Agreement, which cannot be solved amicably, will trigger either mediation or termination of the present agreement.

**5.6** The relationship between **BIS** and **ETSI** shall be that of independent signatories, and nothing in this MoU shall be construed to constitute either Party as an employee, agent or member of the other Party. Without limiting the foregoing, neither Party shall have authority to act for or to bind the other Party in any way, to make representations or warranties or to execute agreements on behalf of the other

Pramod

Party, or to represent that it is in any way responsible for the acts or omissions of the other Party.
The practical contacts and decisions for the application of this MoU will be taken by the Director-General of **BIS** and the Director-General of **ETSI**.

This MoU is signed by the duly authorized representative of the Parties on this twenty-second day of December 2021 in two originals each in the English and Hindi, all of them being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Pramod

**Pramod Kumar Tiwari**
*BIS Director-General*

**Bureau of Indian Standards (BIS)**

9, Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi 110 002
INDIA

http://www.bis.org.in/

**Luis Jorge Romero Saro**
*ETSI Director-General*

**European Telecommunications Standards Institute (ETSI)**

650, Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
FRANCE

http://www.etsi.org

## Annex 1

### Mapping of Areas of Mutual Interest between BIS and ETSI

| BIS | ETSI<br>Technical Committee (TC) and/or<br>ETSI Project |
|---|---|
| ETSI IPR Policy: https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf | |
| To Be Decided | To Be Decided |
| | |

Note: This table may from time to time be amended by the duly authorized representatives of the parties upon consultation. The current version of this table is available at the following link:
http://webapp.etsi.org/AgreementView/Mapping tables/Mapping BIS.htm

Pramod

## Annex 2

## Royalties

| Royalty on the standards published by one party and sold by the other party | | Royalty (net revenue share) |
|---|---|---|
| From | To | |
| 1 | 99 | 20% |
| 100 | more | 10% |

**भारतीय मानक ब्यूरो**
**और**
**द यूरोपीय टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टिट्यूट**
**के बीच**
**मानकीकरण में सहयोग के लिये**
**समझौता ज्ञापन**

**यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित के बीच किया जाता है,**

भारतीय मानक ब्यूरो ("बीआईएस"), जो कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। बीआईएस के पास विधिवत गठित समितियों के माध्यम से उपभोक्ताओं, निर्माताओं, प्रौद्योगिकीविदों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया द्वारा किसी भी वस्तु या प्रक्रिया के संबंध में भारतीय मानकों को स्थापित करने, प्रकाशित करने और बढ़ावा देने का अधिकार है। और

द यूरोपीय टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टिट्यूट ("ईटीएसआई"), जो फ़िक्स्ड, मोबाइल, रेडियो, प्रसारण और इंटरनेट प्रौद्योगिकियों सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लिए विश्व स्तर पर लागू मानकों का उत्पादन करता है। ईटीएसआई मानक उन तकनीकों को सक्षम करते हैं जिन पर व्यवसाय और समाज निर्भर करता है। ईटीएसआई 68 देशों के 850 से अधिक निर्माताओं, नेटवर्क ऑपरेटरों, सेवा प्रदाताओं, अनुसंधान निकायों, नियामक निकायों और विश्वविद्यालयों की सदस्यता के साथ एक उद्योगपरक मानक विकास संगठन है।
ईटीएसआई का लक्ष्य विश्व स्तर पर लागू मानकों का उत्पादन करना है और आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ द्वारा यूरोपीय मानकीकरण संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है,

**बीआईएस और ईटीएसआई दोनों को इसके आगे इस समझौता ज्ञापन में व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षों" के रूप में संदर्भित किया गया है।**

**इसके द्वारा पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं :**

प्रमोद

## अनुच्छेद 1
## समग्र उद्देश्य

**1.1** पक्षों का सामान्य उददेश्य वैश्विक सूचना बुनियादी ढांचे की स्थापना में योगदान करने के लक्ष्यार्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण करना और उसे बढ़ावा देना है।

**1.2** तकनीकी कार्यों के दोहराव से बचना पक्षों का पारस्परिक हित है और दोनों पारस्परिक हित के क्षेत्र में मानकीकरण प्रक्रिया के लिए एक संपूरक दृष्टिकोण अपनाने से लाभान्वित होंगे। ईटीएसआई और बीआईएस ने अपने संबंधों को संरचित और मजबूत करने और घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है।

**1.3** पक्ष एक-दूसरे को उनके मानकों (बाद में "मानक" के रूप में संदर्भित) को उनके पुनरीक्षणों सहित और ऐसे मानकों को वितरित करने के लिए, आपसी शर्तों के अनुसार उचित मान्यता के साथ अपनाने का अधिकार देने पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

## अनुच्छेद 2
## विशिष्ट उद्देश्य और गतिविधियाँ

**2.1** पक्ष समय-समय पर जैसा कि सहमति हो आपसी हित के क्षेत्रों में (अनुबंध 1 के अनुसार) सूचनाओं का निः शुल्क आदान-प्रदान कर सकते हैं।

**2.2** पक्ष आपसी हित के मुद्दों और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से बैठकों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेने और/या आयोजित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।

**2.3** पक्षों ने सहमत कार्य क्षेत्रों (अनुबंध 1 के अनुसार) की पहचान की है। इनके भीतर, कार्य दस्तावेजों, मसौदों और मानकों की प्रतियां अनुरोध पर और आपसी सहमति से रॉयल्टी मुक्त उपलब्ध कराई जाएंगी। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से प्राप्त दस्तावेजों का प्रसार अनुरोध करने वाले पक्ष के सदस्यों तक सख्ती से सीमित होगा, और यह पूरी तरह से पक्ष के कार्य कार्यक्रम से संबंधित तकनीकी और/या प्रचार गतिविधियों के लिए अभीष्ट होगा।

पक्ष अपने दस्तावेजों के आदान-प्रदान में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ हैंडलिंग का उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए वचनबद्ध हैं।

## अनुच्छेद 3
## परिभाषाएँ

निम्नलिखित परिभाषाएं वर्तमान समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर लागू होंगी:

प्रमोद

- **"अधिग्रहण"** का अर्थ है किसी पक्ष के मानक को किसी अन्य पक्ष के मानक में बदलना। (उदाहरण के लिए बीआईएस के भारतीय राष्ट्रीय मानक के रूप में ईटीएसआई के मानक को अधिग्रहण करना) । संदेह से बचने के लिए, इसमें आवश्यक संपादकीय परिवर्तन शामिल हैं (उदाहरण के लिए कवर पेज में परिवर्तन)

- **"क्लाइंट"** का अर्थ है किसी भी प्रारूप में पक्ष के मानक का कोई अंतिम उपयोगकर्ता।

- **"वितरण"** का अर्थ है एक ग्राहक को दूसरे पक्ष के मानक के रूप में अपनाए गए पक्ष के मानक उपलब्ध कराना।

## अनुच्छेद 4
## मानकों को अधिग्रहण करने और वितरण के लिए लाइसेंस

**4.1** अनुरोध पर, ईटीएसआई बीआईएस को भारत में भारतीय राष्ट्रीय मानकों के रूप में और बिना परिवर्तन (i) उक्त ईटीएसआई मानकों और (ii) सभी ईटीएसआई मानकों को मानक रूप से उक्त ईटीएसआई मानकों में संदर्भित करने का अधिकार प्रदान करेगा। इस संदर्भ में, ईटीएसआई बीआईएस को भारत में, किसी भी प्रारूप में और बिना किसी बदलाव के (i) उक्त ईटीएसआई मानक और (ii) सभी ईटीएसआई मानकों को मानक रूप से उक्त ईटीएसआई संदर्भित मानक वितरित करने लिए एक गैर-अनन्य लाइसेंस प्रदान करेगा। जबकि भारत के बाहर वितरण करना वर्तमान समझौता ज्ञापन के विषय-क्षेत्र में नहीं है, यह ज्ञात है कि अपनाए गए ईटीएसआई मानक प्राप्त करने के लिए अनुरोध भारत के बाहर से ऑनलाइन आ सकता है और भारत से बाहर कोई सक्रिय संवर्धन और वितरण गतिविधियां न होने पर बीआईएस द्वारा इसका निराकरण किया जा सकता है।

उस प्रयोजनार्थ ईटीएसआई बीआईएस को अपने मानकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान करेगा।

**4.2** पूर्वगामी के पूर्वाग्रह के बिना, राष्ट्रीय परिवर्तन के उद्देश्य के लिए प्रतिस्थापन की आवश्यकता होने पर, बीआईएस ईटीएसआई के मानकों को उनके राष्ट्रीय मानकों के रूप में अपनाने से पहले, ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता के बारे में ईटीएसआई को लिखित रूप में सूचित करेगा।

इसलिए ईटीएसआई बीआईएस को प्रासंगिक मानक (मानकों) का एक वर्ड संस्करण प्रदान करेगा और बीआईएस ईटीएसआई को सूचनार्थ संशोधन चिह्नों के साथ ट्रैक किए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए मानकों का एक संशोधित संस्करण प्रदान करेगा। ईटीएसआई ऐसे किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं देगा।

संशय से बचने के लिए, पक्ष एतद्द्वारा अंगीकार करते हैं कि बीआईएस द्वारा किए गए ईटीएसआई के मानकों में बदलाव के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान (इसके बाद "नुकसान") के लिए ईटीएसआई उत्तरदायी नहीं होगा और बीआईएस एतदद्वारा

प्रमोद

सहमत है कि वह ईटीएसआई के विरूद्ध किए गए ऐसे किसी वाद, दावे या कार्यवाही के लिए ईटीएसआई को क्षतिपूर्ति करेगा और उत्तरदायी नहीं ठहराएगा जिसमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा ईटीएसआई को किसी नुकसान, सहित लेकिन किसी क्षति तक सीमित नहीं, व्यय और वकील के शुल्क के लिए आरोपित किया गया हो। यह भारत से बाहर अंगीक़ृत राष्ट्रीय मानकों के वितरण और/अथवा प्रयोग पर भी लागू होगा।

बीआईएस अपने अंगीकृत राष्ट्रीय मानकों की प्रस्तावना में ईटीएसआई के मानकों में किए गए किसी भी परिवर्तन को सूचीबद्ध करेगा। वैकल्पिक रूप से, परिवर्तनों को अंगीकृत मानक के पाठ में शामिल किया जा सकता है। किसी भी मामले में, बीआईएस स्पष्ट रूप से बताएगा कि (i) मानकों में परिवर्तन ईटीएसआई द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और (ii) इन परिवर्तनों में कॉपीराइट बीआईएस के स्वामित्व में है।

**4.3** ईटीएसआई के मानकों में सभी ईटीएसआई के कॉपीराइट, स्वामित्व और अधिकार ईटीएसआई की एकमात्र और अनन्य संपत्ति रहेंगे (जब तक कि ईटीएसआई द्वारा अन्यथा इंगित नहीं किया जाता है) । ईटीएसआई के डेटाबेस में संकलित और संरचित के रूप में उनकी संपूर्ण सामग्री और उनके संबंधित मेटाडेटा सहित प्रकाशन, फ्रांसीसी कानून के तहत कॉपीराइट-संरक्षित हैं, जो कि कार्यों की उत्पत्ति का देश है, इसलिए फ्रांसीसी कानून के अनुसार शासित और माना जाता है।

बीआईएस द्वारा भारतीय मानकों के रूप में अपनाए गए ईटीएसआई के मानकों की सभी प्रतियों पर निम्नलिखित नोटिस चिपकाएगा, जिसमें ईटीएसआई को उक्त मानकों में कॉपीराइट के स्वामी के रूप में दिखाया जाएगा, जब तक कि ईटीएसआई द्वारा अन्यथा संकेत न दिया गया हो:

© ***यूरोपिय टेलीकम्युनिकशन्स स्टैंडर्ड्स इंस्टिट्यूट*** yyyy [**दिनांक**]**। आगे उपयोग, संशोधन, प्रतिलिपि और/या वितरण सख्त वर्जित है। ईटीएसआई मानक** http://pda.etsi.org/pda/ **पर उपलब्ध हैं।**

इस तरह की सूचना प्रत्येक प्रकाशित अधिग्रहीत के चौथे कवर पेज (बैक पेज) पर दी जाएगी और राष्ट्रीय प्राक्कथन (द्वितीय पृष्ठ) में निम्नलिखित को आगे दर्शाया जाएगा:

"भारतीय मानक जो यूरोपीय टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टिट्यूट द्वारा जारी किए गए ईएन (पदनाम) के समान है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा (नाम) अनुभागीय समिति की सिफारिश और (नाम) विषय परिषद के अनुमोदन पर अपनाया गया।"

**4.4** जहां ईटीएसआई को बीआईएस मानकों को अपनाने/वितरित करने की आवश्यकता होती है, वर्तमान समझौता ज्ञापन में उल्लिखित सभी नियम ईटीएसआई पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

प्रमोद

5

भारतीय मानकों में सभी बीआईएस के कॉपीराइट, स्वामित्व और अधिकार बीआईएस की एकमात्र और अनन्य संपत्ति रहेंगे (जब तक कि बीआईएस द्वारा अन्यथा इंगित नहीं किया गया हो)।

**ईटीएसआई के मानकों के रूप में ईटीएसआई द्वारा अपनाए गए भारतीय मानकों की सभी प्रतियों पर बीआईएस को उक्त मानकों में कॉपीराइट के स्वामी के रूप में दर्शाते हुये निम्नलिखित नोटिस चिपकाएगा, जब तक कि बीआईएस द्वारा अन्यथा इंगित नहीं किया गया हो:**

© भारतीय मानक ब्यूरो yyyy [तारीख]। आगे उपयोग, संशोधन, प्रतिलिपि और/या वितरण सख्त वर्जित है। बीआईएस मानक www.standardsbis.in पर उपलब्ध हैं।

इस तरह की सूचना प्रत्येक प्रकाशित अधिग्रहित के कवर और पहले पृष्ठ पर दी जाएगी और आगे यह भी बताया जाएगा कि ईटीएसआई मानक प्रासंगिक भारतीय राष्ट्रीय मानक के समान है।

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को तुरंत सूचित करेगा यदि उसे दूसरे पक्ष के मानकों के किसी भी अनधिकृत उपयोग के बारे में पता चलता है और इस तरह के अनधिकृत उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

**4.5** कोई भी पक्ष कागजी प्रारूप में अपनाए गए मानकों के वितरण पर रॉयल्टी का भुगतान नहीं करेगा।

किसी अन्य प्रारूप में अपनाए गए मानकों के वितरण के संबंध में, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को अनुबंध 2 में उल्लिखित रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

प्रत्येक पक्ष वार्षिक आधार पर दूसरे को सभी स्वीकृत मानकों की एक सूची प्रदान करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें वितरित किए गए स्वीकृत मानकों की कुल प्रतियों को उनकी बिक्री मूल्य भी शामिल करते हुये सूचीबद्ध किया जाएगा, ऐसी रिपोर्ट प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस (45) दिनों के भीतर देय होंगी।
भुगतान प्रत्येक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कैलेंडर वर्ष के अंत के साठ (60) दिनों के भीतर किया जाएगा।

## अनुच्छेद 5
## समझौता ज्ञापन का प्रशासन

**5.1** समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों के लिखित समझौते को छोड़कर, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संशोधित, परिसंशोधित या अधित्यक्त नहीं माना जाएगा। कोई भी पक्ष

प्रमोद

दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौता ज्ञापन, या इसके किसी भी अधिकार, दायित्व या कर्तव्यों को यहां निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं।

**5.2** यह समझौता ज्ञापन पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू होगा। इस स्थिति में कि किसी भी पक्ष द्वारा प्रक्रिया के नए नियम अपनाए जाते हैं, या जब किसी पक्ष द्वारा विश्वव्यापी स्तर पर विशेष प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, तो दूसरा पक्ष इस समझौता ज्ञापन में संशोधन का सुझाव दे सकता है जो इस तरह के बदलाव से उठाई गई किसी भी चिंता का समाधान करता हो। यदि ऐसा संशोधन स्वीकार्य नहीं है, तो जिस पक्ष ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, वह दूसरे को तीस (30) दिन की लिखित सूचना पर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है। अनुभव और तकनीकी विकास की दृष्टि से दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमति पर भी इस समझौता ज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है।

**5.3** पूर्वगामी के बावजूद, इस समझौता ज्ञापन को किसी भी पक्ष द्वारा नब्बे (90) दिन के लिखित नोटिस पर दूसरे पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस समझौता ज्ञापन के किसी भी समाप्ति या समाप्ति पर, इस समझौता ज्ञापन के अनुसार दिए गए सभी अधिकार तुरंत समाप्त हो जाएंगे और पक्षों इस समझौता ज्ञापन के अनुसार प्राप्त किसी भी जानकारी को वितरित करना बंद कर देंगें, सिवाय इसके कि पक्षों पहले से अपनाए गए मानकों को वितरित करना जारी रख सकते हैं। हालांकि, इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति की अधिसूचना पर, पक्ष अन्य पक्ष के मानकों से संबंधित ग्राहकों के साथ नए समझौते में प्रवेश नहीं करेगें। किसी भी स्थिति में यह अधिकार इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति की तारीख से एक (1) वर्ष से अधिक नहीं होगा। इस एमओयू में कुछ भी या अन्यथा इसके विपरीत, अधिकारों के स्वामित्व से संबंधित इस एमओयू के प्रावधान इस एमओयू की समाप्ति या समाप्ति से सुरक्षित रहेंगे।

**5.4** इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई पर बीआईएस के महानिदेशक और ईटीएसआई के महानिदेशक के स्तर पर बीआईएस और ईटीएसआई के बीच कार्य स्तर पर जहां भी संभव हो सहमति दी जाएगी।

**5.5** इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, असहमति या दावे को पक्षों के बीच परामर्श और बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। वर्तमान समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, असहमति या दावा, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता है, या तो मध्यस्थता या वर्तमान समझौते की समाप्ति का कारण बनेगा।

**5.6** बीआईएस और ईटीएसआई के बीच संबंध स्वतंत्र हस्ताक्षरकर्ताओं का होगा, और इस समझौता ज्ञापन में किसी भी पक्ष को कर्मचारी, एजेंट या अन्य पक्ष के सदस्य के रूप में गठित करने के लिए नहीं माना जाएगा। पूर्वगामी को सीमित किए बिना, किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के लिए कार्य करने या किसी भी तरह से बाध्य करने, प्रतिनिधित्व करने या वारंटी देने या दूसरे पक्ष की ओर से समझौतों को निष्पादित करने, या यह प्रतिनिधित्व

प्रमोद

करने का अधिकार नहीं होगा कि यह किसी भी तरह से दूसरे पक्ष के कार्य या चूक का जिम्मेदार है।
इस एमओयू को लागू करने के लिए व्यावहारिक संपर्क और निर्णय बीआईएस के महानिदेशक और ईटीएसआई के महानिदेशक द्वारा किये जाएंगे।

इस समझौता ज्ञापन पर पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिसंबर 2021 के इस बाइसवां दिन पर अंग्रेजी और हिंदी में दो मूल में हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये सभी समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में विचलन के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा.

प्रमोद

श्री प्रमोद कुमार तिवारी

बीआईएस महानिदेशक

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

9, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली 110 002
भारत

http://www.bis.org.in/

श्री लुइस जॉर्ज रोमेरो सारो

ईटीएसआई महानिदेशक

यूरोपीय टेलीकम्युनिकेशन
स्टैंडर्ड्स इंस्टिट्यूट (ईटीएसआई)
650, रूट डेस लुसिओल्स
F-06921 सोफिया एंटिपोलिस सेडेक्स
फ्रांस

http://www.etsi.org

## अनुबंध 1

## बीआईएस और ईटीएसआई के बीच पारस्परिक हित के क्षेत्रों की रूपरेखा

| बीआईएस | ईटीएसआई तकनीकी समिति (टीसी) और/या ईटीएसआई परियोजना |
|---|---|
| ईटीएसआई आईपीआर नीति: https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf | |
| तय करना है | तय करना है |
| | |

नोट: इस तालिका को समय-समय पर पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा परामर्श पर संशोधित किया जा सकता है। इस तालिका का वर्तमान संस्करण निम्न लिंक पर उपलब्ध है: http://webapp.etsi.org/AgreementView/MappingTable/MappingBIS.htm

प्रमोद

अनुबंध 2

**रॉयल्टी**

| एक पक्ष द्वारा प्रकाशित और दूसरे पक्ष द्वारा बेचे गए मानकों पर रॉयल्टी | | रॉयल्टी (शुद्ध राजस्व हिस्सेदारी) |
|---|---|---|
| से | तक | |
| 1 | 99 | 20% |
| 100 | अधिक | 10% |

प्रमोद

4